न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/आरटीआई/84/2021

चित्तरसिंह चौहान सेवानिवृत कनिष्ठ सहायक निवासी सेढ का मढ जामा मस्जिद के पास भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।

बनाम

उपखण्ड अधिकारी भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 09.11.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है चित्तरसिंह चौहान सेवानिवृत कनिष्ठ सहायक निवासी सेढ का मढ जामा मस्जिद के पास भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08.2021 उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से सूचना चाही गई थी। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/667 दिनांक 27.10.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से उनके पत्र कमांक 2284 दिनांक 08.11.2021 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचना उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से सूचना उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने अपने जबाब पत्र कमांक 2284 दिनांक 08.11.2021 से अवगत कराया है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय से सबंधित न होने के कारण अपीलान्ट का आवेदन प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, किला भरतपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया जाकर अपीलान्ट को भी सूचित कर दिया गया है। चूँकि अपीलान्ट द्वारा उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। वांछित सूचना अपीलान्ट को दी जा चुकी है तथा सूचना उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से सम्बंधित न होने से उनके द्वारा अपीलान्ट का आवेदन धारा 6(3) के तहत प्रभारी अधिकारी, जिला अभिलेखागार, किला भरतपुर को पत्रांक 1957 दिनांक 23.08.2021 से

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

अन्तरित करते हुये अपीलान्ट को भी पत्रांक 1958 दिनांक 23.8.2021 से सूचित किया जा चुका है। सूचना प्राप्त करने हेतु अपीलान्ट प्रभारी अधिकारी जिला अभिलेखागार, किला भरतपुर के कार्यालय में आवश्यक कार्यवाही करे। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा की गई यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (उपखण्ड अधिकारी भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को भी भेजी जावे।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर